[TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION, OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

Dated the <u>06.07</u>. 2017

NOTIFICATION

No.F.DE.23 (67)/RTE/2017/ 1/2/- 1433. – In exercise of the powers conferred by subclause (ii) (B) of clause (a) read with clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to notify inclusion of the words "all children living with or affected by HIV" within the meaning of "child belonging to disadvantaged group" as defined in clause (d) of section 2 of the said Act applicable to all schools situated within the National Capital Territory of Delhi.

By order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

(MARCEL EKKA)
Additional Secretary (Education)

No.F.DE.23 (67)/RTE/2017/1421-1433

Copy to:-

- Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
- 2. Secretary, MHRD, Govt. of India.
- 3. Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi
- 4. Pr. Secretary to Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi
- OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- P. S. to Secretary (Education), Government of NCT of Delhi
- 7. P. S. to Director (Education), Government of NCT of Delhi
- Director (Education), Govt. of NCT of Delhi/Municipal
 Corporations of Delhi (East/North/South)/New Delhi Municipal Council/Chief
 Executive officer, Delhi Cantonment Board.
- 9. Director, Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- All Addl. Directors/RDs/JDs/DDEs/ADEs of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 11. All Branch In charges, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 12. OS (IT) with the request to place it on the website of the Department.
- Guard file.

(MARCEL EKKA)
Additional Secretary (Education)

Dated: 06.07.2017

(दिल्ली राजपत्र भाग— IV असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय : शिक्षा का अधिकार शाखा पुराना सचिवालय, दिल्ली—54.

दिनांकः 06.07. 2017

अधिसूचना

संoफाo डी.ई. 23(67)/आरटीई/2017/1421-1433 — निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (घ) के साथ पठित खंड (क) के उपखंड (ii) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित सभी विद्यालयों पर लागू उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित शब्दों अर्थात् "एचआईवी पीड़ित या प्रभावित सभी बच्चे" के अर्थों में "वंचित समूह से संबंधित बच्चे" शब्दों के सम्मिलन को अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से, उनके नाम पर,

Harasi

(मार्शल एक्का) अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं0फा0 डी.ई.23(67)/आरटीई/2017/1421-1433

दिनांकः 06 • 07 • 2017

प्रतिलिपि निम्न को :-

- 1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम (पूर्व / उत्तर / दक्षिण)।
- 9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद।
- 10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
- 11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 12. समस्त अतिरिक्त निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक / संयुक्त निदेशक / उप-निदेशक शिक्षा / सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 14. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
- 15. गार्ड फाईल।

(मार्शल एक्का) अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)